

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 671]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 20, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-74-17-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती हैः—

क्रमांक (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	जिला (3)
1	रहली	सागर

(2) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है।

(3) यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

पृ. क्र. डी-15-74-17-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

Bhopal, the 11<sup>th</sup> December 2017

No. D-15-74-17-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees:—

S. No. (1)	Name of the market committee (2)	District (3)
01	REHLI	SAGAR

- (2) Notwithstanding what is stated in para (1) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price.
- (3) This notification shall come into force with effect from the date of publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B.S. DHURVE, Dy. Secy.